आकाशवाणी शिमला

08.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 9:20बजे

मुख्य समाचार''

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा–भारत अमेरिका अतंरिम व्यापार समझौता निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित–किसानों के हितों की सुरक्षा को करता है सुनिश्चित।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रीमण्डल की एक महत्वपूर्ण बैठक शिमला में–राजस्व घाटा अनुदान को लेकर होगी चर्चा।
- जनजातीय जिला किन्नौर में बागवानी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस वर्ष जिले में लगभग 33 हजार फलदार पौधे को वितरित करने का रखा गया है लक्ष्य।
- हिमाचल प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम–2025 कल 9 फरवरी से होगा प्रभावी।

गोयल– भारत अमरीका

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित है और किसानों के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि भारत में पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, सोयाबीन सहित कृषि और दुग्ध उत्पाद तथा मुर्गी पालन शामिल हैं, जिन्हें शुल्क रियायतों से बाहर रखा गया है। गोयल ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और देश को वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाना है। गोयल ने कल नई दिल्ली में भारत–अमेरिका संयुक्त वक्तव्य पर संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि समझौते के तहत भारतीय निर्यात पर पहले लागू 50 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क को घटाकर अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वाणिज्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह समझौता कृषि और डेयरी क्षेत्र की रक्षा करता है, जबकि मसाले, चाय, कॉफी, काजू, शाहबलूत, एवोकैडो, केला, आम, कीवी और पपीता जैसे कई कृषि उत्पादों पर अमेरिका में कोई शुल्क नहीं लगेगा। गोयल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को 45 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना है।

मंत्रिमंडल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रीमण्डल की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में केन्द्रीय बजट में राजस्व घाटा अनुदान बंद होने, हिमाचल प्रदेश में चल रहे जल विद्युत प्रोजेक्ट्स से लैंड रेवेन्यू टैक्स लेने पर आगामी रणनीति तैयार करेगी । इसके अलावा प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के निर्णय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले बैठक में लिए जा सकते हैं। इस बीच कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार विपक्ष के विधायकों और पत्रकारों को हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रेजेंटेशन देगी और RDG बंद होने का प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा इसकी विस्तृत जानकारी साझा करेगी। अधिक ब्योरे के साथ हमारे शिमला जिला सम्वाद्दाता की ये रिपोर्ट.....

विधानसभा

प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 11वां बजट सत्र 16 फरवरी से शिमला में आयोजित किया जाएगा। होगा। ये सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ दोपहर दो बजे से आरंभ होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कल शिमला में बताया कि सत्र के आयोजन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शोकोदगार और विधायी कार्य शुरू होंगे।

केन्द्रीय मंत्री

केन्द्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत आज शिमला दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे शिमला में केन्द्रीय बजट पर पत्रकार सम्मेलन ओर संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस संवाद में बजट के प्रमुख प्रावधानों, पर्यटन, संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार सृजन से जुड़े विषय रखे जाएंगे। प्रदेश भाजपा महासचिव संजीव कटवाल ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री का ये दौरा सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन विकास और विकसित भारत के विजन को लेकर महत्वपूर्ण रहेगा।

बागवानी

जनजातीय जिला किन्नौर में बागवानी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बागवानी विभाग द्वारा फलदार पौधों के वितरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपनिदेशक बागवानी शमशेर सिंह ढेहरु ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जिले में लगभग 33 हजार फलदार पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक ब्योरे के साथ हमारी किन्नौर ज़िला सम्वाददाता.....

भर्ती परीक्षा

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम–2025 कल 9 फरवरी से प्रभावी हो जाएगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के उददेश्य से लागू होने वाले इस अधिनियम से अब परीक्षाओं में नकल, प्रश्नपत्र लीक, फर्जीवाड़ा और संगठित परीक्षा अपराधों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। इसके अंतर्गत भर्ती परीक्षा में नकल करने और करवाने वालों को कम से कम पांच साल और अधिकतम दस साल की कैद और एक करोड़ रूपये का जुर्माना होगा। इस अपराध को गैर जमानती और संज्ञेय बनाया गया है। अन्य संलिप्त व्यक्ति के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल का प्रावधान किया गया है और जुर्माना 10 लाख रूपये होगा।

चैंपियनशिप

धर्मशाला स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय को छठी बार ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला कबडडी चैंपियनशिप की मेजबानी करने का मौका मिला है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन धर्मशाला में कल से किया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कल उदघाटन समारोह में भाग लेंगे। केंन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफैसर सत प्रकाश बंसल ने एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 2 सौ से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।

मौसम

प्रदेश में आज मौसम आमतौर पर साफ है। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश में कल रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। जिससे राज्य में 10 फरवरी को उंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यवर्ती ओर निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ तेज आंधी चलने का पूर्वानुमान है।

सुर्खियां समाचार पत्रों से.....

आज समाचार पत्रों ने अलग–अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है–**आर. डी.जी. पर विशेष सत्र नहीं, अब 16 फरवरी से बजट सत्र ही होगा।** दैनिक जागरण की सुर्खी है–**आर.डी.जी. बंद होने से वेतन व पेंशन पर भी पड़ेगा विपरीत असर।** दिव्य हिमाचल के शब्द हैं–**बजट सत्र में नई औद्योगिक नीति लाएगी प्रदेश सरकार।**

हिमाचल दस्तक की एक खबर है–**कैबिनेट बैठक आज, राजस्व घाटा अनुदान पर होगी चर्चा।**

पंजाब केसरी सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है– **हिमाचली अधिकारों के लिए नड्डा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को तैयार।**

पी.एम.जी.एस.वाई. में हिमाचल का काम बेहतर, केंद्र सरकार से मिला 46 करोड़ रूपये का इनाम दैनिक भास्कर की एक सुर्खी है।

आपका फैसला लिखता है–**हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर 5 जिलों में मतदाता सूचियों की छपाई शुरू।**

मुख्य समाचार'' एक बार फिर

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा–भारत अमेरिका अतंरिम व्यापार समझौता निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित–किसानों के हितों की सुरक्षा को करता है सुनिश्चित।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रीमण्डल की एक महत्वपूर्ण बैठक शिमला में–राजस्व घाटा अनुदान को लेकर होगी चर्चा।
- जनजातीय जिला किन्नौर में बागवानी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस वर्ष जिले में लगभग 33 हजार फलदार पौधे को वितरित करने का रखा गया है लक्ष्य।
- हिमाचल प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम–2025 कल 9 फरवरी से होगा प्रभावी।